

(02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

माल-चन्ड सरकार

92
2018

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

225
RACV

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

12.02.18. अधिवक्ता कपीलार्थ उपस्थित।
 कार्यालय रिपोर्ट लेकर
 पत्रावली प्राप्त प्रस्तुत हुई। पत्रावली उर्फ
 रजिस्ट्रर करे। अधिवक्ता कपीलार्थ की
 बचस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। कपीलार्थ द्वारा यह अपील
 अधिनस्थ न्यायालय के कोर्टा दिनांक
 05/6/2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई
 है एवं कोर्टा दिनांक 05/6/2012 में
 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संकेत किया
 गया है कि " वकील प्रार्थी उपो। प्रा० पत्र
 उर्फ रजिस्ट्रर हो। कपीलार्थ की तलबी की
 बाबर दिनांक 18-6-12 को पेश हो। "
 से स्पष्ट है कि उक्त संकेत किसी
 कोर्टा की श्रेणी में माना नहीं जा
 सकता। अतः ऐसी रिकॉर्ड में कपीलार्थ
 द्वारा प्रस्तुत अपील धुंकी डिपार्टमेंट
 कपीलार्थीन कोर्टा के विरुद्ध प्रस्तुत
 नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें कोई अनुलोप
 इस अपील के माध्यम से प्रदान नहीं
 किया जा सकता। अतः कपीलार्थ द्वारा
 प्रस्तुत यह अपील स्मरहीन होने से
 स्वीकार की जाती है। तदनुसार पत्रावली
 फंसल मुक्त होकर वापस तबदील डाखील
 पत्रावली को कोर्टा सुनाया गया।

(Signature)